भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1069

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

1069. **श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः**

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

श्री नरेश गणपत म्हस्केः

श्री राजेश वर्माः

श्रीमती शांभवीः

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा पहुँच और समानता बढ़ाने हेतु आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत कार्यान्वित की गई परिवर्तनकारी नीतियों और पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 36.28 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने से स्वास्थ्य कवरेज, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, में किस प्रकार सुधार हुआ है और देश भर में स्वास्थ्य सेवा उपयोग में निरंतर लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए) पहल के माध्यम से भारत के डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में हुई प्रगति और स्वास्थ्य सेवा पहुँच पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(घ) मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण कवरेज के विस्तार में कितनी प्रगति हुई है और इस पहल से कितने बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लाभ हुआ है; और

(ङ) सरकार आने वाले वर्षों में मातृत्व मृत्यु अनुपात और शिशु मृत्यु दर जैसे प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों को बनाए रखने तथा उनमें और सुधार लाने की किस प्रकार योजना बना रही है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सरकार की एक प्रमुख योजना है जो 1961 प्रक्रियाओं के अनुरूप 27 विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञताओं में मध्यम और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति पात्र लाभार्थी परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

वर्तमान में, 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिससे पूरे देश में इसकी व्यापक पहुँच सुनिश्चित हो रही है।

योजना के कवरेज का दायरा बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को आयुष्मान वय वंदना पहल शुरू की, जिसके तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा, सामुदायिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य परिचर्या में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

(ख): एबी-पीएमजेएवाई के तहत 41 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से 20.47 करोड़ कार्ड महिला लाभार्थियों के लिए बनाए गए हैं। वय वंदना योजना के तहत कुल 75.41 लाख आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से 32.3 लाख कार्ड महिला लाभार्थियों के लिए बनाए गए हैं।

(ग): आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) को भारत सरकार द्वारा सितंबर 2021 में एक एकीकृत, नागरिक -केंद्रित राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में सहायता के लिए शुरू किया गया था। यह मिशन सार्वजनिक और निजी हितधारकों के बीच स्वास्थ्य डेटा और सेवाओं की अंतर-संचालन क्षमता को सक्षम करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का लाभ उठाता है। एबीडीएमके अंतर्गत, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (आभा) बनाए जाते हैं जो नागरिकों को स्वास्थ्य परिचर्या पारिस्थितिकी तंत्र में सहमति से अपने डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुँचने और उनका प्रबंधन करने में सक्षम बनाते हैं। दिनांक 21.07.2025 तक, 79.55 करोड़ से अधिक आभा बनाए जा चुके हैं और 64.28 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड आभा से जोड़े जा चुके हैं।

एबीडीएम रजिस्ट्री स्वास्थ्य रिकॉर्ड और गेटवे तक आसानी से अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुँचने और उन्हें सुरक्षित और निर्बाध रूप से साझा करने के लिए पहुँच प्रदान करती है। यह अनुदैर्ध्य स्वास्थ्य इतिहास के निर्माण को सक्षम बनाता है, जिससे परिचर्या की निरंतरता सुनिश्चित होती है। इसके माध्यम से, नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों और सेवा प्रदाताओं के बारे में सटीक और सत्यापित जानकारी प्राप्त होती है। 'स्कैन एंड शेयर' एक क्यूआर-कोड-आधारित ओपीडी (बाह्य-रोगी विभाग) पंजीकरण सेवा है जो रोगियों को सुविधा के क्यूआर कोड को स्कैन करने और अपने जनसांख्यिकीय विवरण साझा करने की अनुमति देती है। यह पंजीकरण काउंटर पर लंबी कतारों को कम करता है और अधूरे या गलत डेटा की प्रविष्टि को न्यूनतम करता है। 16.07.2025 तक, 36 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 22,404 स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों ने 12.48 करोड़ ओपीडी पंजीकरण किए हैं, इस सेवा द्वारा औसतन लगभग 3 लाख पंजीकरण किए गए हैं।

(घ): मिशन इंद्रधनुष वर्ष 2014 में शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह एक कैच-अप टीकाकरण अभियान है, जिसका उद्देश्य उन वंचित और छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण करना है जिन्हें अपनी नियमित टीकाकरण खुराक न प्राप्त

हुई हो। देश भर में अब तक मिशन इंद्रधनुष के सभी 12 चरणों में, कुल 5.46 करोड़ अतिरिक्त बच्चों और 1.32 करोड़ अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है।

(ङ): भारत सरकार ने देश भर में मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) सहित प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत विभिन्न पहल/उपाय किए हैं:

- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए एक माँग संवर्धन और सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) सभी गर्भवती महिलाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में जन्म लेने वाले बीमार शिशुओं (एक वर्ष तक की आयु) को सिजेरियन सहित, पूर्णतः निःशुल्क और बिना किसी खर्च के प्रसव का हक प्रदान करता है। इन हकदारियों में निःशुल्क दवाएँ, उपभोग्य वस्तुएँ, प्रवास के दौरान निःशुल्क आहार, निःशुल्क निदान, निःशुल्क परिवहन और आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क रक्त आधान शामिल हैं। एक वर्ष तक की आयु के बीमार शिशुओं के लिए भी इसी प्रकार के हकदार लागू हैं।

- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को एक विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक निश्चित दिन, निःशुल्क, सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जाँच प्रदान करता है। विस्तारित पीएमएसएमए कार्यनीति गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भवती (एचआरपी) महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व परिचर्या (एएनसी) सुनिश्चित करती है और सुरक्षित प्रसव होने तक व्यक्तिगत एचआरपी ट्रैकिंग सुनिश्चित करती है। इसके लिए चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है और पीएमएसएमए के अतिरिक्त 3 अतिरिक्त दौरों के लिए आशा को उनके साथ भेजा जाता है।

- लक्ष्य, प्रसव कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और प्रसव के तुरंत बाद सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण परिचर्या मिले।

- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) सभी रोके जा सकने वाली मातृ एवं नवजात मृत्यु को रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में आने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला और नवजात शिशु को निःशुल्क, सम्मानजनक, आदरपूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करता है और सेवाओं से इनकार करने के प्रति शून्य सहिष्णुता बरतता है।

- प्रसवोत्तर परिचर्या के अनुकूलन का उद्देश्य माताओं में खतरे के संकेतों का पता लगाने पर जोर देकर और ऐसी उच्च जोखिम वाली प्रसवोत्तर माताओं का शीघ्र पता लगाने, रेफरल और उपचार के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को प्रोत्साहित करके प्रसवोत्तर परिचर्या की गुणवत्ता को मजबूत करना है।

- गर्भवती महिलाओं के लिए परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार हेतु जनशक्ति, रक्त भंडारण इकाइयाँ, रेफरल संपर्क सुनिश्चित करके प्रथम रेफरल इकाइयों (एफ़आरयू) का क्रियान्वयन।

- माताओं और बच्चों को प्रदान की जाने वाली परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार हेतु अधिक मामलों के भार वाले सुविधा केन्द्रों पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग की स्थापना और प्रसूति उच्च निर्भरता इकाइयों और गहन चिकित्सा इकाइयों (प्रसूति एचडीयू और आईसीयू) का संचालन।

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान और पोषण सहित मातृ एवं शिशु देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) मनाए जाते हैं।

- विशेष रूप से आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या की पहुँच में सुधार के लिए आउटरीच शिविरों का प्रावधान किया जाता है। इस मंच का उपयोग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने, सामुदायिक संघटन के साथ-साथ उच्च जोखिम वाली गर्भधारण पर नज़र रखने के लिए किया जाता है।

- गर्भवती महिलाओं को आहार, आराम, गर्भावस्था के खतरे के संकेतों, लाभकारी योजनाओं और संस्थागत प्रसव के बारे में शिक्षित करने के लिए मातृ एवं शिशु सुरक्षा (एमसीपी) कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका वितरित की जाती है।

- अधिक माँग उत्पन्न करने के लिए नियमित सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी/बीसीसी) भी सभी योजनाओं का एक हिस्सा है। स्वस्थ प्रथाओं में सुधार और सेवाओं की माँग बढ़ाने के लिए जन-जन और सोशल मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाता है।

भारत सरकार, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएएच + एन) रणनीति के कार्यान्वयन में सहायता करती है। देश भर में शिशु जीवन दर में सुधार हेतु किए गए उपायों का विवरण नीचे दिया गया है:

- सुविधा केंद्र आधारित नवजात शिशु परिचर्या: जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज स्तर पर विशेष नवजात शिशु परिचर्या इकाइयाँ (एसएनसीयू) स्थापित की जाती हैं, और बीमार और छोटे शिशुओं की परिचर्या के लिए प्रथम रेफरल इकाइयों (एफआरयू)/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाइयाँ (एनबीएसयू) स्थापित की जाती हैं।

- नवजात और छोटे बच्चों की समुदाय आधारित परिचर्या: गृह आधारित नवजात शिशु परिचर्या (एचबीएनसी) और गृह-आधारित छोटे बच्चों की परिचर्या (एचबीवाईसी) कार्यक्रम के अंतर्गत, आशा कार्यकर्ताओं द्वारा शिशु-पालन प्रथाओं में सुधार लाने और समुदाय में बीमार नवजात और छोटे बच्चों की पहचान करने के लिए घर का दौरा किया जाता है।

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके): एक वर्ष तक की आयु के बीमार शिशु को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त परिवहन, निदान, दवाइयों, रक्त और उपभोग्य सामग्रियों के प्रावधान के साथ मुफ्त उपचार का अधिकार है।

- निमोनिया के कारण होने वाली बाल रुग्णता और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए 2019 से सामाजिक जागरूकता और निमोनिया को सफलतापूर्वक निष्क्रिय करने के लिए कार्रवाई (एसएएएनएस) पहल लागू की गई है।

- ओआरएस और जिंक के उपयोग को बढ़ावा देने और शिशुओं के दस्त के कारण होने वाली रुग्णता और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए दस्त रोको अभियान लागू किया गया है।

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके): बाल जीवन दर में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की 32 स्वास्थ्य स्थितियों (अर्थात रोग, कमियाँ, दोष और विकासात्मक विलंब) के लिए जाँच की जाती है। ताकि उनकी उत्तरजीविता में सुधार किया जा सके। आरबीएसके के अंतर्गत जांच किए गए बच्चों की पुष्टि और प्रबंधन के लिए जिला स्वास्थ्य सुविधा केंद्र स्तर पर जिला शीघ्र अंतक्षेप केंद्र (डीईआईसी) स्थापित किए जाते हैं।

*****